भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1441
01 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: आंध्र प्रदेश में आम उत्पादक किसानों को पेश आनेवाली समस्याएँ
1441. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में आम उत्पादक और अन्य किसानों को पेश आनेवाली समस्याओं से अवगत है;
(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि किसान आम की फसल को मात्र ₹2 प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहे हैं और किसान वास्तव में संकट में हैं;
(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त दर पर खरीदे गए आम बाजार में ₹100 से ₹150 प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहे हैं; और
(घ) यदि हाँ, तो आम के साथ-साथ 21 अन्य फसलों, जिनके लिए प्रत्येक खरीफ और रबी फसलों के लिए एमएसपी घोषित किया जाता है, हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करने में सरकार को क्या बाधाएं पेश आ रही हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): आम सहित शीघ्र खराब होने वाली फसलों, जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा नहीं की गई है, के साथ-साथ कृषि एवं बागवानी फसलों के बाजार मूल्य में कमी होने की स्थिति में किसानों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार पीएम-आशा के तहत बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) नामक घटक को कार्यान्वित कर रही है। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य इन वस्तुओं के उत्पादकों को पीक आवक अवधि, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं, के दौरान बम्पर फसल की स्थिति में मजबूरन बिक्री से बचाना है। इसके लिए शर्त यह होती है कि पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में इन वस्तुओं के प्रचलित बाजार मूल्यों में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। यह स्कीम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है, जो इसके कार्यान्वयन पर होने वाले नुकसान, यदि कोई हो, का 50 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत) वहन करने के लिए तैयार होती हैं।

सरकार ने वर्ष 2024-25 सीजन से बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) के तहत भावांतर भुगतान (पीडीपी) नामक नया घटक शुरू किया है ताकि खराब होने वाली फसलों के लिए किसानों को बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किया जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास फसल की भौतिक खरीद करने या किसानों को एमआईपी और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान करने का विकल्प है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में वर्तमान 2025-26 सीजन के लिए आम का बाजार मूल्य उत्पादन लागत से नीचे गिर गया है। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर, भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 सीजन के लिए 1,62,500 मीट्रिक टन तोतापुरी आम की फसल को 1490.73 रुपये प्रति क्विंटल के बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) पर कवर करने के लिए राज्य में बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) के तहत भावांतर भुगतान (पीडीपी) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।

(घ): सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सुझावों पर विचार करने के बाद, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 50 प्रतिशत के न्यूनतम मार्जिन के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में लगातार वृद्धि की थी। 22 अधिदेशित फसलों में 14 खरीफ फसलें जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तूर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कपास और 6 रबी फसलें नामतः गेहूं, जौ, चना, मसूर (लेंटिल), रेपसीड व सरसों, कुसुम और दो वाणिज्यिक फसलें अर्थात जूट और खोपरा शामिल हैं।

एमएसपी फ्रेमवर्क के तहत फसलों को शामिल करना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अन्य कारकों के साथ-साथ अपेक्षाकृत लंबी शेल्फ लाइफ, व्यापक रूप से उगाई जाने वाली, बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तु, खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक होना आदि शामिल हैं।

*****